


I/221476/2021

<p>माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद आयुक्तालय : सूरत C G S T & Excise Commissionerate : Surat सीजीएसटी बिल्डिंग, गाँधी बाग के सामने, चौक बाजार, सूरत-395001 Excise Building, Opp. Gandhi Baug, Chowk Bazar, Surat</p>	
---	---

फा.सं. XX/18/2020

दिनांक:

04.11.2020

सेवा में

माननीय महानिदेशक

निष्पादन-प्रबंधन महानिदेशालय,

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवाकर

डी शेड, आई. पी. भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

विषय:- तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्ट का प्रेषण।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत ध्यानाकृष्ट है कि 30/09/2020 को समाप्त अवधि की हिंदी प्रगति रिपोर्ट अग्रेषण पत्र के साथ अगली कार्रवाई हेतु संलग्न है।

यह भी ध्यानाकृष्ट है कि तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय(पश्चिम), केन्द्रीय सदन, सी.बी.डी. बेलापुर, नवी मुंबई के लिए भी नियमित ऑन लाईन प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: हिन्दी प्रगति रिपोर्ट।

भवदीय,

सहायक आयुक्त(रा.भा.)

माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद आयुक्तालय,

सूरत

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. सचिव, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट नई दिल्ली।
3. उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय(पश्चिम), केन्द्रीय सदन, छठी मंजिल, सेक्टर 10, सी.बी.डी.बेलापुर, नवी मुंबई
- 4 मुख्य आयुक्त, वस्तु ,सेवाकर एवं सीमा शुल्क, रेस कोर्स सर्किल वडोदरा-390007
- 5 सहायक निदेशक, नराकास सूरत, कमरा नं.509 मुख्य आयकर भवन मजुरा गेट सूरत।

I/221476/2021

6. सहायक निदेशक(रा.भा.) केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क वडोदरा, रेस कोर्स सर्किल वडोदरा-390007
7. अतिरिक्त महानिदेशक, करदाता सेवा, अहमदाबाद जोन, 5 वी मंजिल, नियर- सोला फ्लाई ऑवर, एस. जी. हाईवे के सामने , अहमदाबाद-380060 ।
8. फॉइल कापी।

केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

30/09/2020 को समाप्त तिमाही

भाग - I (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए)

कार्यालय का नाम और पूरा पता: माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद आयुक्तालय, सूरत

सी. जी. एस. टी. भवन, गाँधी बाग के सामने, चौक बाजार, सूरत गुजरात- 395001

संबंधित राजभाषा अधिकारी का फोन नं. एस.टी.डी कोड. 0261 फोन नं. 2462722

ई-मेल mahendr73@gmail.com

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात

(क) जारी कागजात की कुल संख्या	22
(ख) द्विभाषी रूप से जारी कागजात की संख्या	22
(ग) इनमें से केवल अंग्रेजी में जारी किये गये कागजात	00

2. हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम - 5

(क) हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या	137
इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	51 (ख)
(ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	00
(घ) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे	86

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे
	1	2	3	4
'क' क्षेत्र से				
'ख' क्षेत्र से	817	164	434	219

I/221476/2021

4. भेजे गये कुल पत्रों का ब्यौरा

	हिंदी में	अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या
	1	2	3
'क' क्षेत्र को	28	09	37
'ख' क्षेत्र को	3761	842	4603
'ग' क्षेत्र को	07	04	11

5. (तिमाही के दौरान) फाइलों/दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियां *

हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या

1449

अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या

1020

कुल टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या

2169

* पृष्ठों की संख्या की गणना पूर्ण अंक एवं आधा अंक में ही की जाए।

6. हिंदी कार्यशालाएं

तिमाही के दौरान पूर्ण दिवसीय आयोजित कार्यशालाओं की संख्या	इनमें प्रशिक्षित कार्मिकों की कुल संख्या	
	अधिकारी	कर्मचारी
1	2	3
00	00	00

नोट: कार्यालय के समस्त कार्मिकों को 2 वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।

7. विभागीय/संगठनीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन की तिथि 24.09.2020

(क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की तिथि

24.09.2020

(केंद्रीय प्रधान कार्यालय की)

(ख) अधीनस्थ कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या

12

(ग) इस तिमाही में आयोजित बैठकों की संख्या

12

(घ) बैठकों से संबंधित कार्यसूची और कार्यवृत्त क्या हिंदी में जारी किए गए?

हाँ

8. हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के आयोजन की तिथि

लागू नहीं

(केवल मंत्रालयों/विभागों के लिए)

9. तिमाही में किए गए उल्लेखनीय कार्य/उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण(अधिकतम 250 कैरेक्टर)

1. विभागीय राजभाषा पत्रिका 'तापी' के तृतीय अंक के प्रकाशन की प्रक्रिया अन्तिम दौर में है।
2. स्वच्छता पखवाड़ा तथा सतर्कता पखवाड़ा के प्रचार-प्रसार हेतु बैनर एवं पोस्टर राजभाषा हिंदी में बनाए गए। उक्त के दौरान हिंदी निबंध एवं वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई।
3. 'सबका विकास, सबका विश्वास' योजना के प्रचार-प्रसार हेतु बैनर एवं पोस्टर राजभाषा हिंदी में बनाये गये तथा व्यापारियों को निर्देश हिंदी दिए गये।
4. प्रशासनिक अनुभाग से कार्यालयीन विज्ञापन राजभाषा हिंदी में प्रसारित किए जाते हैं।

I/221476/2021

उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम : राजेन्द्र सिंह

पदनाम : आयुक्त

कार्यालय का नाम : जी.एस.टी एवं एक्साइज आयुक्तालय: सूरत

दूरभाष/ फैंक्स : 0261-2465672 / 2465675

ई-मेल का पता : commr-cexsurat1@nic.com

नोट : 1. .कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए ।

प्रमाण पत्र

कार्यालय कोड : ofgj4712

वित्तीय वर्ष: 2020-21

“मैं यह प्रमाणित करता हूं कि संलग्न 30 सितंबर,2020 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट (भाग-1) में दी गई सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है । मैं यह अच्छी तरह समझता हूं कि राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियम 1976 के उपबंधों में दिए गए निदेशों के समुचित अनुपालन की जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की है । यदि किसी स्टेज पर रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े असत्य अथवा बढ़ा- चढ़ा कर दिखाए गए पाए जाते हैं तो इस कार्यालय को अगले 03 वर्षों के लिए राजभाषा पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा तथा गलत सूचना देने के लिए कार्रवाई हेतु मामला मेरे नियंत्रक/मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया जाएगा ।”

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम :

राजेन्द्र सिंह

I/221476/2021

पदनाम : आयुक्त

कार्यालय का नाम : जी.एस.टी एवं एक्साइज आयुक्तालय: सूरत

दूरभाष/ फ़ैक्स : 0261-2465672 / 2465675

ई-मेल का पता : commr-cexsurat1@nic.com

तिथि :- 04.11. 2020

स्थान :- सूरत

I/294019/2021

केंद्रीय माल व सेवाकर एवं के.उ.शुल्क आयुक्तालय, सूरत
सीजीएसटी भवन, गाँधी बाग के सामने, चौक बाजार, सूरत-395001



Email Id. cgstsurat-hindi@gov.in

दूरभाष नं. 0261-2462722

सेवा में

उपायुक्त / सहा.आयुक्त

सभी मण्डल- I/ II/ III/ IV/ V/ VI/

VII/ VIII/ IX/ X/ XI /XII

सभी अनुभाग प्रभारी(मुख्यालय)

केंद्रीय माल व सेवाकर एवं के. उत्पाद शुल्क

आयुक्तालय, सूरत

विषय: 31.03. 2021 को समाप्त अवधि की तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्ट भेजने के क्रम में ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि 31.03. 2021 को समाप्त अवधि की तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र हिन्दी अनुभाग को भेजें ताकि रिपोर्ट अविलम्ब क्षेत्रीय(कार्यालय) कार्यालय मुंबई एवं महानिदेशक, निष्पादन-प्रबंधन महानिदेशालय, नई दिल्ली को प्रेषित की जा सके । तिमाही प्रगति रिपोर्ट उक्त दिनांक से 02 दिन के अन्तर्गत पत्र के साथ संलग्न निर्धारित तिमाही प्रोफार्मा भाग-I व II में विधिवत भरकर हिन्दी अनुभाग, ब्लॉक B, प्रथम मंजिल, कमरा नं.101, मुख्यालय, चौक बाजार में अपरिहार्य रूप से प्राप्त हो जानी ।

यह भी विदित है कि राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रमानुसार हमारे कार्यालय के लिए राजभाषा प्रगति लक्ष्य 90% निर्धारित है । यह लक्ष्य सभी मण्डल एवं अनुभागों को अपरिहार्य प्राप्त करना है । सभी मण्डल एवं अनुभागों की हिन्दी प्रगति 90% से कम नहीं होनी चाहिए । अन्यथा उक्त लक्ष्य (90%) से कम हिन्दी प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करने के संबंध में हिन्दी अनुभाग को उचित/उपयुक्त कारण से अवगत कराएं ।

अनुलग्नक: तिमाही प्रोफार्मा भाग-I व II

भवदीय,

सहायक आयुक्त (रा.भा.)

केंद्रीय माल व सेवाकर एवं के. उत्पाद शुल्क, सूरत

I/318958/2021

माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद आयुक्तालय : सूरत
 C G S T & Excise Commissionerate : Surat
 सीजीएसटी बिल्डिंग, गौंधी बाग के सामने, चौक बाजार, सूरत-395001
 Excise Building, Opp. Gandhi Baug, Chowk Bazar, Surat



सेवा में

माननीय महानिदेशक

निष्पादन-प्रबंधन महानिदेशालय,

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवाकर

डी शेफ्ट, आई. पी. भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

विषय:- तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्ट का प्रेषण।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत ध्यानाकृष्ट है कि 31/03/2021 को समाप्त अवधि की तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्ट अग्रेषण पत्र के साथ अगली कार्रवाई हेतु संलग्न है।

यह भी ध्यानाकृष्ट है कि तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय(पश्चिम), केन्द्रीय सदन, सी.बी.डी. बेलापुर, नवी मुंबई के लिए भी नियमित ऑन लाईन प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: हिन्दी प्रगति रिपोर्ट।

भवदीय,

उपायुक्त (रा.भा.)

माल व सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद आयुक्त

तालय, सूरत

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक(राजभाषा)कमरा संख्या 264(A)वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
2. सचिव, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. सचिव, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट नई दिल्ली।
4. उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय(पश्चिम), के.सदन, छठी मंजिल, सेक्टर 10, सी.बी.डी.बेलापुर, नवी मुंबई
5. मुख्य आयुक्त, वस्तु, सेवाकर एवं सीमा शुल्क, रेस कोर्स सर्किल वडोदरा-390007
6. सहायक निदेशक, नराकास सूरत, कमरा नं.509 मुख्य आयकर भवन मजुरा गेट सूरत।
7. सहायक निदेशक(रा.भा.) केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क वडोदरा, रेस कोर्स सर्किल वडोदरा-390007
8. अतिरिक्त महानिदेशक, करदाता सेवा, अहमदाबाद जोन, 5 वी मंजिल, नियर- सोला फ्लाई ऑवर, एस. जी. हाईवे के सामने, अहमदाबाद-380060।
9. फाईल कापी।

केंद्रीय माल व सेवाकर एवं के. उ. शुल्क आयुक्तालय, सूरत
सीजीएसटी भवन, गाँधी बाग के सामने, चौक बाजार, सूरत-395001



Email Id. cgstsurat-hindi@gov.in

दूरभाष नं. 0261-2462722

सेवा में

उपायुक्त / सहा.आयुक्त

सभी मण्डल- I/ II/ III/ IV/ V/ VI/

VII/ VIII/ IX/ X/ XI /XII

सभी अनुभाग प्रभारी(मुख्यालय)

केंद्रीय माल व सेवाकर एवं के. उत्पाद शुल्क

आयुक्तालय, सूरत

विषय: 30.06.2021 को समाप्त अवधि की तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्ट भेजने के क्रम में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि 30.06.2021 को समाप्त अवधि की तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र हिन्दी अनुभाग को भेजे ताकि रिपोर्ट अविलम्ब क्षेत्रीय(कार्यालय) कार्यालय मुंबई एवं महानिदेशक, निष्पादन-प्रबंधन महानिदेशालय, नई दिल्ली को प्रेषित की जा सके। तिमाही प्रगति रिपोर्ट हस्ताक्षरित दिनांक से 02 दिन के अन्तर्गत पत्र के साथ अनुलग्न तिमाही प्रोफार्मा भाग-I में अद्यतन व विधिवत भरकर हिन्दी अनुभाग, ब्लॉक B, प्रथम मंजिल, कमरा नं.101, मुख्यालय, चौक बाजार में अपरिहार्य रूप से प्राप्त हो जानी चाहिए।

यह भी विदित है कि राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रमानुसार हमारे कार्यालय के लिए राजभाषा प्रगति लक्ष्य 90% निर्धारित है। यह लक्ष्य सभी मण्डल एवं अनुभागों को अपरिहार्य प्राप्त करना है। सभी मण्डल एवं अनुभागों की हिन्दी प्रगति 90% से कम नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उक्त लक्ष्य (90%) से कम हिन्दी प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करने के संबंध में हिन्दी अनुभाग को उचित/उपयुक्त कारण से अवगत कराएं।

नोट :- राजभाषा रिपोर्ट CGST Whats app Group / mahendr73@gmail.com पर भी प्रेषित की जा सकती है।

अनुलग्नक: तिमाही प्रोफार्मा भाग-I

भवदीय,

संयुक्त आयुक्त रा.भा.)

केंद्रीय माल व सेवाकर एवं के. उत्पाद शुल्क, सूरत

I/352784/2021

केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों
आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

30/06/2021 को समाप्त तिमाही

भाग - I (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए)

कार्यालय का नाम और पूरा पता: केंद्रीय माल व सेवाकर एवं कें. उत्पाद शुल्क आयुक्तालय : सूरत

सी जी एस टी बिल्डिंग, गाँधी बाग के सामने, चौक बाजार, सूरत
संबंधित राजभाषा अधिकारी का फोन नं. एस.टी.डी कोड. 0261 फोन नं. 2462722

ई-मेल- cgstsurat-hindi@gov.in

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात

(क) जारी कागजात की कुल संख्या	16
(ख) द्विभाषी रूप से जारी कागजात की संख्या	16
(ग) इनमें से केवल अंग्रेजी में जारी किये गये कागजात	00

2. हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम - 5)

(क) हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या	116
इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	37 (ख)
(ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	00
(घ) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे	79

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति(केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे
	1	2	3	4
'क' क्षेत्र से	22	04	02	17
'ख' क्षेत्र से	713	152	130	408

4. भेजे गये कुल पत्रों का ब्यौरा

	हिंदी में	अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या	हिन्दी पत्रों का प्रतिशत
	1	2	3	4
'क' क्षेत्र को	62	8	70	89%
'ख' क्षेत्र को	2775	278	3053	91%
'ग' क्षेत्र को	18	05	23	78%

5. (तिमाही के दौरान) फाइलों/दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियां *

हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या

1649 (81%)

I/369423/2021

अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या

378

कुल टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या

2027

* पृष्ठों की संख्या की गणना पूर्ण अंक एवं आधा अंक में ही की जाए।

2-

6. हिंदी कार्यशालाएं

तिमाही के दौरान पूर्ण दिवसीय आयोजित कार्यशालाओं की संख्या	इनमें प्रशिक्षित कर्मिकों की कुल संख्या	
	अधिकारी	कर्मचारी
1	2	3
02	21	45

नोट: कार्यालय के समस्त कर्मिकों को 2 वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।

7. विभागीय/संगठनीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन की तिथि

(क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की तिथि

28.05.2021

(केंद्रीय प्रधान कार्यालय की)

(ख) अधीनस्थ कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या

12

(ग) इस तिमाही में आयोजित बैठकों की संख्या

12

(घ) बैठकों से संबंधित कार्यसूची और कार्यवृत्त क्या हिंदी में जारी किए गए?

हाँ

8. हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के आयोजन की तिथि

लागू नहीं

(केवल मंत्रालयों/विभागों के लिए)

9. तिमाही में किए गए उल्लेखनीय कार्य/उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 250 कैरेक्टर)

1. विभागीय राजभाषा पत्रिका 'तापी' के तृतीय अंक का प्रकाशन किया गया।
2. 'सबका विकास, सबका विश्वास' योजना के प्रचार-प्रसार हेतु बैनर एवं पोस्टर राजभाषा हिंदी में बनाये गये तथा व्यापारियों को निर्देश हिंदी में दिए हैं।
3. प्रशासनिक अनुभाग से कार्यालयीन पोस्टर एवं बैनर राजभाषा हिंदी में छपवाए जाते हैं।
- 4 राजभाषा सहायिका-2021 का प्रकाशन प्रक्रिया में है।

उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम :

विक्रम वाणी

पदनाम :

आयुक्त

कार्यालय का नाम : केंद्रीय माल व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क: सूरत

दूरभाष/ फ़ैक्स : 0261-2465672 / 2465675

ई-मेल का पता : comm cexsurat1@nic.com

I/369423/2021

नोट : 1. कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए ।

प्रमाण पत्र

कार्यालय कोड : ofgj4712

वित्तीय वर्ष: 2021-22

"मैं यह प्रमाणित करता हूं कि संलग्न 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट (भाग-I) में दी गई सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है। मैं यह अच्छी तरह समझता हूं कि राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियम 1976 के उपबंधों में दिए गए निदेशों के समुचित अनुपालन की जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की है। यदि किसी स्टेज पर रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े असत्य अथवा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गए पाए जाते हैं तो इस कार्यालय को अगले 03 वर्षों के लिए राजभाषा पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा तथा गलत सूचना देने के लिए कार्रवाई हेतु मामला मेरे नियंत्रक/मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया जाएगा।"

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम : विक्रम वाणी

पदनाम : आयुक्त

कार्यालय का नाम : केंद्रीय माल व सेवाकर एवं कें. उत्पाद शुल्क: सूरत

दूरभाष/ फैक्स : 0261-2465672 / 2465675

ई-मेल का पता : commr-cexsurat1@nic.com

तिथि :- 22 .07. 2021

स्थान :- सूरत

नोट- उक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र की पी.डी.एफ. सॉफ्टकापी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से लोड की जाए अन्यथा आपकी रिपोर्ट अधूरी समझी जाएगी।

I/370377/2021

केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों
आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

31/03/2021 को समाप्त तिमाही

भाग - I (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए)

कार्यालय का नाम और पूरा पता: सी. जी. एस. टी. एवं सेंट्रल एक्साइज आयुक्तालय, सूरत

सी. जी. एस. टी. भवन, गाँधी बाग के सामने, चौक बाजार, सूरत गुजरात- 395001

संबंधित राजभाषा अधिकारी का फोन नं. एस.टी.डी कोड. 0261 फोन नं. 2462722

ई-मेल mahendr73@gmail.com

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात

(क) जारी कागजात की कुल संख्या	17
(ख) द्विभाषी रूप से जारी कागजात की संख्या	17
(ग) इनमें से केवल अंग्रेजी में जारी किये गये कागजात	00

2. हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम - 5)

(क) हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या	169
इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	64 (ख)
(ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	00
(घ) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे	105

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति(केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे
	1	2	3	4
'क' क्षेत्र से				
'ख' क्षेत्र से	848	162	253	433

4. भेजे गये कुल पत्रों का ब्यौरा

	हिंदी में	अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या
	1	2	3
'क' क्षेत्र को	15	1	16
'ख' क्षेत्र को	2900	506	3406
'ग' क्षेत्र को	02	01	03

5. (तिमाही के दौरान) फाइलों/दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियां *

I/370377/2021

हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या
 अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या
 कुल टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या
 * पृष्ठों की संख्या की गणना पूर्ण अंक एवं आधा अंक में ही की जाए।

1129
492
1621

-2-

6. हिंदी कार्यशालाएं

तिमाही के दौरान पूर्ण दिवसीय आयोजित कार्यशालाओं की संख्या	इनमें प्रशिक्षित कर्मिकों की कुल संख्या	
	अधिकारी	कर्मचारी
1	2	3
01	19	25

नोट: कार्यालय के समस्त कर्मिकों को 2 वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।

7. विभागीय/संगठनीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन की तिथि

(क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की तिथि **12.03.2021**
 (केंद्रीय प्रधान कार्यालय की)

(ख) अधीनस्थ कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या **12**

(ग) इस तिमाही में आयोजित बैठकों की संख्या **12**

(घ) बैठकों से संबंधित कार्यसूची और कार्यवृत्त क्या हिंदी में जारी किए गए? **हाँ**

8. हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के आयोजन की तिथि **लागू नहीं**
(केवल मंत्रालयों/विभागों के लिए)**9. तिमाही में किए गए उल्लेखनीय कार्य/उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण(अधिकतम 250 कैरेक्टर)**

1. विभागीय राजभाषा पत्रिका 'तापी' के तृतीय अंक का प्रकाशन किया गया।
2. 'सबका विकास, सबका विश्वास' योजना के प्रचार-प्रसार हेतु बैनर एवं पोस्टर राजभाषा हिंदी में बनाये गये तथा व्यापारियों को निर्देश हिंदी में दिए जा रहे हैं।
3. प्रशासनिक अनुभाग से कार्यालयीन विज्ञापन राजभाषा हिंदी में प्रसारित किए जाते हैं।

उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम : **विक्रम वाणी**

पदनाम : **आयुक्त**

कार्यालय का नाम : **जी.एस.टी एवं एक्साइज आयुक्तालय: सूरत**

I/370377/2021

दूरभाष/ फ़ैक्स : 0261-2465672 /

2465675

ई-मेल का पता : commr-cexsurat1@nic.com

नोट : 1. .कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए ।

- 3 -

भाग - II

(इस भाग में सूचनाएं पूरे वित्तीय वर्ष की दी जाएं। इसे केवल 31 मार्च को समाप्त तिमाही रिपोर्ट के भाग-I के साथ भेजा जाए)

1.	क्या कार्यालय/बैंक राजभाषा नियम 10(4)(अर्थात कार्यालय के कुल स्टाफ में से 80% को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है) के अंतर्गत अधिसूचित है ?	जी हां
----	--	--------

(ii) नियंत्रणाधीन कार्यालयों (यदि हों) की राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचना का विवरण :-

कुल कार्यालयों की संख्या	अधिसूचित कार्यालयों की संख्या
1	2
मुख्यालय एवं 12 (मंडल कार्यालय)	मुख्यालय एवं 12 (मंडल कार्यालय)

2.(i) अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी का ज्ञान

		अधिकारी		कर्मचारी		कुल संख्या
		1	2	3	4	
(क)	अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कुल संख्या	137		151		288
(ख)	उपर्युक्त (क) में से हिंदी का ज्ञान प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी	कार्यसाधक	प्रवीण	कार्यसाधक	प्रवीण	
		111	26	119	32	288
(ग)	कितने कर्मी हिंदी भाषा का प्रशिक्षण पा रहे हैं	00	00	00	00	00
(घ)	हिंदी में प्रशिक्षण के लिए शेष	00	00	00	00	00

2(ii) हिंदी आशुलिपि/टंकण का ज्ञान

	कुल संख्या	हिंदी में प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या	प्रशिक्षितों में से कितने हिंदी में काम करते हैं।	प्रशिक्षण के लिए शेष	
					1
(क)	आशुलिपिक	03	03	03	00
(ख)	टंकक/लिपिक	04	04	04	00
(ग)	कर/पोस्टल सहायक आदि	29	29	29	00

2(iii) अनुवाद का ज्ञान

		अधिकारी		कर्मचारी		कुल संख्या
		1	2	3	4	
(क)	कुल अधिकारी/कर्मचारी जो अनुवाद कार्य करते हैं।	01		00		01
(ख)	उक्त (क) में से अनुवाद संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त हैं।	01		00		01
(ग)	कितनों को प्रशिक्षण दिया जाना शेष है।	00		00		00

3 हिंदी में कंप्यूटर प्रशिक्षण

कुल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	कंप्यूटर पर हिंदी में प्रशिक्षितों की संख्या	कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने वालों की संख्या
1	2	3
288	288	288

-4-

4. कंप्यूटर से संबंधित विवरण

कंप्यूटर/लैपटाप की कुल संख्या	हिंदी सक्षम (enabled) कंप्यूटर/लैपटाप की संख्या
1	2
250	239

5. कोड, मैनुअल, मानकीकृत प्रपत्र आदि

	कुल संख्या	द्विभाषी
	1	2
(क) अधिनियम/नियम, कार्यालयीन कोड/मैनुअल प्रक्रिया साहित्य आदि	12	12
(ख) मानकीकृत प्रपत्र	35	35

6. राजभाषा नियम 8(4) के अंतर्गत सम्पूर्ण कार्य हिंदी में करने हेतु कितने कर्मियों को व्यक्तिशः आदेश जारी किए गए सभी कर्मियों को दिया गया है।

7. प्रशिक्षण कार्यक्रम (केवल प्रशिक्षण संस्थानों के लिए) लागू नहीं

प्रशिक्षण की अवधि (सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुल अवधि)	प्रशिक्षण की अवधि घंटों में)		
	हिंदी में दिए गए प्रशिक्षण	अंग्रेजी में दिए गए प्रशिक्षण	मिली जुली भाषा में दिए गए प्रशिक्षण
1	2	3	4

8. वर्ष के दौरान किए गए राजभाषा संबंधी निरीक्षण

(क) (i) अनुभागों की कुल संख्या	16	
(ii) इनमें से निरीक्षित अनुभागों की संख्या	00	
(ख) (i) संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के		12
उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/बैंकों/वित्तीय संस्थानों इत्यादि (यदि कोई हो) की कुल संख्या		लागू नहीं
(ii) इनमें से निरीक्षित कार्यालयों की संख्या	00	

9. पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन

कुल संख्या	हिंदी में	अंग्रेजी में
1	2	3
01	01	00

10. हिंदी पुस्तकों की खरीद (सीडी, डीवीडी, डाक्यूमेंट्री व ई-बुक सहित)

- (i) वर्ष के दौरान पुस्तकों की खरीद पर कुल व्यय 20,000
- (ii) इसमें से हिंदी की पुस्तकों की खरीद पर व्यय 20,000

-5-

11. उप सचिव/समकक्ष एवं उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा हिंदी में कार्य

उच्च अधिकारियों की कुल संख्या	हिंदी जानने वाले अधिकारियों की संख्या	कॉलम 2 में से हिंदी में कार्य करने वालों की संख्या					
		नहीं करते हैं	25 प्रतिशत तक करते हैं	26 से 50 प्रतिशत तक करते हैं	51 से 75 प्रतिशत तक करते हैं	76 प्रतिशत तक करते हैं	शत प्रतिशत करते हैं
1	2	3	4	5	6	7	8
04	04	00	00	04	00	00	00

12. हिंदी जानने वाले (प्रवीण तथा कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त दोनों को मिलाकर) उप सचिव/समकक्ष से नीचे के स्तर के कार्मिकों द्वारा हिंदी में कार्य

कार्मिकों की कुल संख्या	हिंदी जानने वाले अधिकारियों की संख्या	कॉलम 2 में से हिंदी में कार्य करने वालों की संख्या					
		नहीं करते हैं	25 प्रतिशत तक करते हैं	26 से 50 प्रतिशत तक करते हैं	51 से 75 प्रतिशत तक करते हैं	76 प्रतिशत तक करते हैं	शत प्रतिशत करते हैं
1	2	3	4	5	6	7	8
284	284	00	24	177	77	05	01

13. हिंदी के पद

पदनाम	पदों की संख्या	
	स्वीकृत	रिक्त
1	2	3
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	00	00
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	01	00

14. वेबसाइट (संगत स्थान पर √ चिन्हित करें)

वेबसाइट का पता	केवल अंग्रेजी	आंशिक रूप से हिंदी में	पूरी तरह से द्विभाषी
1	2	3	4
www.cexsurat1		आंशिक रूप से	

15. वर्ष के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अन्य विशिष्ट उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण:- (विवरण संलग्न करें)

(क) हिंदी दिवस/ सप्ताह/पखवाड़ा/माह(कब से कब तक) 01.09.2020 - 15.09.2020

(ख) हिंदी संगोष्ठी की तिथि और विषय

(ग) हिंदी में अन्य आयोजन की तिथि और विषय: खुली हिंदी निबंध प्रतियोगिता

उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

I/370377/2021

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम : विक्रम वाणी
पदनाम : आयुक्त
कार्यालय का नाम : जी.एस.टी एवं एक्साइज आयुक्तालय: सूरत
दूरभाष/ फ़ैक्स : 0261-2465672 /
2465675
ई-मेल का पता : commr-cexsurat1@nic.com

नोट : 1. कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए ।

प्रमाण पत्र

कार्यालय कोड : ofgj4712

वित्तीय वर्ष: 2020-21

“मैं यह प्रमाणित करता हूं कि संलग्न 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट (भाग-I/II) में दी गई सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है। मैं यह अच्छी तरह समझता हूं कि राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियम 1976 के उपबंधों में दिए गए निदेशों के समुचित अनुपालन की जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की है। यदि किसी स्टेज पर रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े असत्य अथवा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गए पाए जाते हैं तो इस कार्यालय को अगले 03 वर्षों के लिए राजभाषा पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा तथा गलत सूचना देने के लिए कार्रवाई हेतु मामला मेरे नियंत्रक/मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया जाएगा।”

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम : विक्रम वाणी
पदनाम : आयुक्त
कार्यालय का नाम : जी.एस.टी एवं एक्साइज आयुक्तालय: सूरत
दूरभाष/ फ़ैक्स: 0261-2465672 / 2465675
ई-मेल का पता : commr-cexsurat1@nic.com

तिथि :- 07.05. 2021

स्थान :- सूरत

नोट- उक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र की पी.डी.एफ. सॉफ्टकापी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप

I/370377/2021

से लोड की जाए अन्यथा आपकी रिपोर्ट अधूरी समझी जाएगी ।